कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 20 (101/401) आयो/आकाशि/2012 / 839 दिनांकः 21/दिसम्बर,2012

सचिव

1 राजा हम्मीर एज्यूकेशन एण्ड मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी,सवाई माधोपुर
2 विश्वभारती संस्थान, मोहन निवास दधिमति मार्ग, बजाज रोड, राजस्थान, सीकर
3 दी प्रोफैशनल एज्यूकेशन एवं रिसर्च संस्थान सी स्कीम, जयपुर
4 जगदम्बा विकास एवं शैक्षणिक सस्थान, खाजूवाला बीकानेर
5 जवाहर लाल नेहरू शैक्षणिक संस्थान कमला नेहरू नगर हसनपुरा जयपुर
6 दीक्षा क्रियशन सोसाइटी 46 जयश्री कालोनी नियर धोलकोट, उदयपुर
7 विजन सोसाइटी 30 II फ्लोर बापू बाजार उदयपुर
8 श्री प्रहलाद गुप्ता स्मृति वेलफेयर सोसाइटी, 87 बाल मन्दिर कालोनी,सवाई माधोपुर
9 श्री महर्षि दधिचि एज्यूकेशन सोसाइटी एम डी मिशन, कैम्पस केशवपुरा कोटा
10 ग्रामीण विकास एवं शोध सस्थान पेराडाइज कालोनी नीमदा गेट के बाहर भरतपुर
11 राजस्थान बाल कल्याण समिति झाडोल उदयपुर
12 श्री गुरू नानक खालसा शिक्षा समिति, हनुमान गढ
13 राजस्थान जन विकास सस्थान शाकम्भरी रोड उदयपुरवाटी झून्झूनू ।

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा वर्ष 2010–11 की अनुपालना में निजी सहभागिता से महाविद्यालय संचालन की स्वीकृति के सबध में।

संदर्भ :– निदेशालय के आदेश क्रमांक 404– 416 दिनांक 6.8.2012

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2010–11 की अनुपालना में निजी सहभागिता से महाविद्यालय संचालन की स्वीकृति के संबंध मे आप द्वारा प्रेषित किये गये सहमति पत्र (MOU) में चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नानुसार संशोधन कर निदेशालय को दिनांक 28.12.2012 तक अविलम्ब प्रेषित करे।

1 MOU के प्रारम्भ में शर्तो के पूर्व निम्न उल्लेख होगा :–

सहमति पत्र (Memorandum of Under standing)

निदेशक, कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 20 (101/401)आयो./निकाशि/2010/पार्ट–I/ 404– 416 दिनांक 6.8.2012 द्वारा निजी सहभागिता से महाविद्यालय संचालित करने की अनुमति दिये जाने के फलस्वरूप आज दिनांक .... को एक सहमति पत्र (Memorandum of Under standing) राजस्थान सरकार एवं ....(संस्था का नाम) के बीच निम्नलिखित शर्तो के साथ किया जाता है :–

2 प्रत्येक संस्था को निजी सहभागिता से महाविद्यालय चलाने हेतु जो स्वीकृति जारी की गई है उनमें कतिपय शर्तो का उल्लेख है। MOU के ड्राफ्ट में उन समस्त शर्तो को उसी रूप में एवं उसी क्रम में लिखा जावे, शर्ते संख्या 15 का निम्न पार्ट :–
प्रस्तावक संस्था को उपरोक्त आशयो की अनुपालना करने सबधी एक सहमति पत्र MOU राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षरित करना होगा।' MOU में लिखे जाने की आवश्यकता नही है। आगे का पार्ट यथावत रहेगा।

3 शर्ते संख्या 9 (महाविद्यालय सचालन हेतु भवन लीज पर 15 वर्ष के लिए /लिया जावेगा) मे लिया के स्थान पर लिखा /दिया जावें। साथ ही 15 वर्ष पश्चात की स्थिति का उल्लेख भी MOU मे शामिल किया जावें।

भवदीय

संयुक्त निदेशक

क्रमांकः एफ 20 (101/401) आयो/आकाशि/2012 / 839 दिनांकः21 दिसम्बर,2012

प्रतिलिपि :– श्री धीरेन्द्र देवर्षि व्याख्याता प्रभारी वेवसाइट कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि वेवसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक